न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर (मु0) महोदय, अजमेर

राजस्व वाद पत्र संख्या 88/2014 (68/17) जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्रीमती पदमा देवी

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह (हनुमान सिंह पुत्र लाडू सिंह) जाति रावत गौत्र मुण्डियात निवासी ग्राम बुबानी तहसील व जिला अजमेर जरिये मुख्त्यारआम मोहन सिंह पुत्र गोपी सिंह जाति रावत निवासी बुबानी तहसील व जिला अजमेर।

––वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र लादू जाति रावत गौत्र सुन्देडा (मृतक) जरिये वारिसान –
   1/1 श्रीमती प्रेम पत्नि हनुमान सिंह (हनुमान पुत्र लादू)
   1/2 सावंरा पुत्र हनुमान
   1/3 सावंता पुत्र हनुमान
   1/4 सायर पुत्र हनुमान
   समस्त जाति रावत गौत्र सुन्देडा निवासी बुबानी तहसील व जिला अजमेर।
2. मोहन सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह जाति रावत निवासी बुबानी तहसील व जिला अजमेर।
3. श्रीमती अनिता गर्ग पत्नि श्री राजेश गर्ग जाति अग्रवाल निवासी उतारघसेठी हाल निवासी वार्ड नं. 14 कायस्थ मोहल्ला पुरानी मण्डी अजमेर।
4. श्रीमती पूजा भटनागर (माथुर) पत्नि श्री वैभव माथुर जाति कायस्थ निवासी 301 रघुराम रेजीडेन्स, शिल्पा पार्क, कोण्डापुर, हैदराबाद–5000032।
5. श्रीमती ममता जालौरी पत्नि श्री अशोक कुमार जालौरी जाति जैन निवासी 63, महावीर कॉलोनी पुष्कर रोड अजमेर।
6. विद्वान उप पंजीयक महोदय अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर।

––प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री दिनदयाल स्वामी — अभिभाषक वादी
2. श्री हसन खान — अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 5

निर्णय

दिनांक 24.10.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा वाद अर्न्तगत धारा 88,188 एवं 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता हनुमान पुत्र श्री लाडू सिंह जाति रावत जाति मुण्डियात की आवंटन शुदा खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात ग्राम बुबानी तहसील व जिला अजमेर के खसरा नंबर 710 रकबा 0.12, खसरा नंबर 715 रकबा 0.16 हैक्ट. में अवस्थित है। उक्त आराजीयात वादी एवं वादी के परिवार की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात के मध्य अवस्थित होने के कारण वादी के पिता को आवंटित की गई थी। जिस पर आवंटन के पूर्व से ही वादी के पिता काबिज काश्त चले आ रह थे। उक्त आराजीयात वादी के पिता हनुमान पुत्र श्री लाडू को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 31.05.1984 को आवंटन की जाकर मौके पर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया गया एवं आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 166 दिनांक 31.05.1984 को गैर खातेदारी हक से तस्दीक किया गया तत्पश्चात वर्किंग जमाबंदी मे बहैसियत गैर खातेदार अमल दरामद किया गया लेकिन उक्त जमाबन्दी के कालम संख्या 4 में हनुमान वल्द लादू कौम रावत गौत्र मुण्डियात के स्थान पर हनुमान वल्द लादू कौम रावत साकिन देह गेर खातेदार अंकित हो गया तत्पश्चात दिनांक 04.03.1994 को वादी के पिता श्री हनुमान पुत्र लाडू का स्वर्गवास हो गया। वर्किंग जमाबंदी में दर्ज त्रुटिपूर्ण अमल दरामद की आड मे हनुमान पुत्र लादू जो ग्राम बुबानी निवासी होकर जाति रावत गौत्र सून्देडा है ने अपने नाम गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 137 दिनांक 27.06.1998 को तस्दीक करवा दिया। हनुमान पुत्र लादू जाति रावत गौत्र सुन्देडा का दिनांक 02.11.1999 को स्वर्गवास होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 321 दिनांक 16.10.2001 को उसके वारिसान यथा प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 के नाम दर्ज कर दिया गया तथा

सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

नामांतरकरण संख्या 1007 दिनांक 26.08.2011 को हनुमान पुत्र श्री लादू गौत्र सुन्देडा के सांवता व सायर सिंह नाबालिग के बजाय बालिग का तस्दीक कर दिया गया। वादी के पिता श्री हनुमान पुत्र श्री लाडू जाति रावत गौत्र मुण्डियात का दिनांक 04.03.1994 को स्वर्गवास होने के समय वादी मात्र 2 वर्ष का होकर नाबालिग अवस्था में था जिससे वादग्रस्त आराजीयात पर वादी के दादा श्री लाडू सिंह काबिज हुआ जिसका दिनांक 03.02.2012 को स्वर्गवास हो गया तब से वादी लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात त्रुटिपूर्ण रूप से वादी के पिता हनुमान पुत्र श्री लाडू गौत्र मुण्डियात के स्थान पर हनुमान पुत्र श्री लादू जाति रावत गौत्र सुन्देडा के नाम दर्ज हो जाने तत्पश्चात जरिये विरासत प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 के नाम दर्ज होने पर इस त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि का नाजायज लाभ अर्जित करते हुए उनके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2011 को प्रतिवादी संख्या 2 मोहन सिंह को बिना कब्जे के विक्रय कर दी जिसके नाम नामांतरकरण संख्या 1016 दिनांक 20.10.2011 को तस्दीक किया जाकर वर्किंग जमाबंदी में अमल दरामद कर दिया गया। मोहन सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह ने उक्त आराजीयात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.07.2012 श्रीमती गर्ग पत्नि श्री राजेश गर्ग प्रतिवादीया संख्या 3 को बिना कब्जे के विक्रय कर दी जिसके आधार पर उसके नाम जरिये नामांतरकरण संख्या 99 दिनांक 06.05.2013 को तस्दीक किया जाकर अमल दरामद कर दिया गया। प्रतिवादीया संख्या 3 श्रीमती अनीता गर्ग के बिना कब्जे के क्रयशुदा विवादित आराजीयात का 1/2 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2013 को श्रीमती पूजा भटनागर पत्नि श्री वैभव माथुर प्रतिवादीया संख्या 4 को बिना कब्जे के विक्रय कर दी जिसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 121 दिनांक 05.06.2013 को प्रतिवादीया संख्या 4 के नाम तस्दीक किया जाकर आधार जमाबंदी में अमल दरामद कर दिया गया एवं प्रतिवादीया संख्या 3 ने शेष 1/2 हिस्सा श्रीमती ममता जालोरी पत्नि श्री अशोक कुमार जालोरी प्रतिवादीया संख्या 5 को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर बिना कब्जे के नामांतरकरण संख्या 138 दिनांक 05.07.2013 को तस्दीक किया जाकर अमल दरामद कर दिय गया। वादग्रस्त आराजीयात से हनुमान पुत्र श्री लादू का कोई लेना देना नही है ना ही हनुमान पुत्र श्री लादू को विवादित भूमि आवंटन हुई थी वरन राजस्व ऐजेन्सी द्वारा वादी के पिता हनुमान पुत्र श्री लाडू के हक में पारित आवंटन आदेश की पालना में गैर खातेदारी का नामांतरकरण संख्या 166 तो सही तस्दीक कर दिया गया लेकिन वर्किंग जमाबंदी में अमल दरामद करते समय हनुमान वल्द लाडू के स्थान पर हनुमान वल्द लादू अंकित कर दिया जिसका नाजायज लाभ अर्जित करत हुए ग्राम बुबानी निवासी हनुमान पुत्र लादू जाति रावत गौत्र सुन्देडा ने अपने नाम गैर खातेदारी से खातेदारी का नामांतरकरण तस्दीक करवा लिया तत्पश्चात बाद विरासत भूमि बिना कब्जे के विक्रय होती गई और बिना कब्जे के ही नामांतरकरण तस्दीक होते गये जबकि मौके पर पूर्व में वादी के पिता तत्पश्चात दादा श्री लाडू तत्पश्चात वादी लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की आड़ में क्रेतागण आये दिन बेदखल करने की धमकी देते है और क्रेतागण को वास्तविक जानकारी होने पर पुनः आगे विक्रय कर देते है जिससे वाद पत्र में वर्णित आराजीयात का वादी को खातेदार घोषित कर अधिकार अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्त किये जाकर वादी को बहैसियत खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित है जिस हेतु उक्त वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी/दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये। प्रतिवादीगण संख्या 1/3, 1/4 व 2 की ओर से शंकरलाल चौधरी तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से राकेश अरोडा, हसन खान अभिभाषकगण के द्वारा वकालनतनामा प्रस्तुत किया गया।

वादी के द्वारा दिनांक 24.10.2024 को राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 208/1864 जिसके नवीन नम्बर 311 व हाल खसरा नंबर 710 व 715 क्रमशः रकबा 0.12 व 0.16 हैक्ट. वाके ग्राम बुबानी तहसील व जिला अजमेर में स्थित है, कि आराजीयात का आवंटन द्वितीय पक्ष के पूर्व खातेदार हनुमान पुत्र लादू के पक्ष में विधिवत रूप से आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 31.05.1984 को किया गया है, जिसका अंकन उप जिला अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश मुख्यालय अजमेर के आदेश दिनांक 31.05.1984 क्रम संख्या 1 पर अंकन किया हुआ है एवं उक्त आवंटन दिनांक से ही द्वितीय पक्ष के पूर्व खातेदार तत्पश्चात द्वितीय पक्ष वादग्रस्त आराजीयात पर बहैसियत काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी में हनुमान पुत्र लादू व आवंटन प्रपत्र आवंटन आदेश में हनुमान पुत्र लादू का अंकन हो रखा है जो कि देखने मात्र से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है उपरोक्त आराजी का आवंटन हनुमानसिंह पुत्र लाडुसिंह को होना वर्णित करते हुए प्रथम पक्ष/वादी महेन्द्रसिंह द्वारा जरिये मुख्त्यारआम मोहनसिंह पुत्र गोपीसिंह एक राजस्व वाद मिथ्या तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उपरोक्त आराजीयात की खातेदारी हेतु अनुतोष चाहा गया है, जिस पर माननीय न्यायालय के समक्ष द्वितीय पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. भी प्रस्तुत किया हुआ जिस पर सुनवाई हेतु प्रकरण न्यायालय के समक्ष जेरकार है। प्रथम पक्ष महेन्द्रसिंह,

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

हनुमानसिंह पुत्र लाडूसिंह का पुत्र है एवं मुख्त्यारआम मोहनसिंह के द्वारा न्यायालय के समक्ष द्वितीय पक्ष व उनके पूर्वाधिकारियों के विरूद्ध वाद पत्र मुगालते में प्रस्तुत किया है। द्वितीय पक्ष के पूर्व खातेदार आवंटी हनुमान पुत्र लादू द्वारा विधिवत रूप से हनुमान पुत्र लादू की मृत्यु के उपरान्त नामांतरकरण संख्या 321 दिनांक 16.10.2001 को उनके वारिसान वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 के नाम स्वीकृत किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 1007 दिनांक 26.08.2011 को हनुमान पुत्र लादू के सावता व सायर सिंह के नाबालिग के बजाय बालिग होने का स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त वारिसान के द्वारा बहैसियत खातेदार जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2011 को प्रतिवादी संख्या 2 मोहनसिंह को वादग्रस्त आराजीयात का विक्रय किया गया है, जिसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 1016 दिनांक 20.10.2011 को स्वीकृत किया जाकर जमाबंदी मे अमल दरामद किया गया है प्रतिवादी संख्या 2 मोहनसिंह द्वारा आराजीयात खसरा संख्या 208/1864 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा बाबत विक्रय पत्र दिनांक 20.07.2012 को श्रीमती अनिता गर्ग प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय की गई है, जिसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 99 दिनांक 06.05.2013 को प्रतिवादी संख्या 3 के नाम स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा स्वयं की खातेदारी एवं कब्जेशुदा आराजीयात का आधा हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2013 को प्रतिवादी संख्या 4 पूजा भटनागर को बेचान किया गया है। जिसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 121 दिनांक 05.06.2013 को प्रतिवादी संख्या 4 के नाम स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद किया गया है एवं शेष आधे हिस्से बाबत पंजीकृत बेनामा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद किया गया है एवं शेष आधे हिस्से बाबत पंजीकृत बेनामा प्रतिवादी संख्या 5 द्वितीय पक्ष ममता जालौरी के पक्ष मे नामांतरकरण संख्या 138 दिनांक 05.07.2013 को प्रतिवादी संख्या 5 के नाम स्वीकृत किया गया है। प्रतिवादी वादग्रस्त आराजीयात पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है, उक्त आराजीयात पूर्व मे उनके पूर्व खातेदार के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। उक्त अनुसरण मे पंजीकृत विक्रय पत्रो से उपरोक्त आराजीयात का बयनामा प्रतिवादी संख्या 5 द्वितीय पक्ष के नाम किया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर मुख्त्यारआम के मुगालते मे आकर राजस्व वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वर्तमान मे प्रथम पक्ष के मुख्त्यारआम मोहनसिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है, अतः प्रस्तुत वाद पत्र मुख्य वादी/प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य राजीनाम होने से उक्त राजीनामे के आधार पर वादी वाद पत्र को आगे नही चलाना चाहता है व राजीनामा के आधार पर खारिज की डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित है। प्रथम पक्ष का द्वितीय पक्ष की उक्त खरीदशुदा आराजीयात से किसी प्रकार सरोकार नही है व ना ही भविष्य मे रहेगा। प्रथम पक्ष उसके वारिसान, ऐजेन्ट, प्रतिनिधि अथवा मुख्त्यारआम राजीनाम से विबंधित रहेगें। उक्त राजीनामे मे वर्णित आराजीयात जो कि द्वितीय पक्ष व पूजा भटनागर के नाम खातेदारी मे अंकन है, उससे प्रथम पक्ष संतुष्ट है। जिस बाबत भविष्य मे प्रथम पक्ष का द्वितीय पक्ष की उक्त खरीदशुदा आराजीयात से किसी प्रकार सरोकार नही रहा है व ना ही भविष्य मे रहेगा। प्रथम पक्ष उसके वारिसान, ऐजेन्ट, प्रतिनिधि अथवा मुख्त्यारआम राजीनामा से विबंधित रहेगें एवं भविष्य मे किसी प्रकार उज्र नही किया जावेगा। अतः उपरोक्त राजीनामा प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य पूर्ण होशहवास मे निष्पादित किया गया है। राजीनामा मे वर्णित आधारो पर उक्त वाद पत्र को प्रथम पक्ष वादी स्वयं के द्वारा पूर्ण होशहवास मे उपस्थित होकर द्वितीय पक्ष के पक्ष में निष्पादित कर रहा है। अतः द्वितीय पक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत वाद पत्र को निरस्त कर खारिज की डिक्री पारित फरमावे।

वादी स्वयं महेन्द्र सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बावत राजीनामा के अनुसरण में प्रकरण को निस्तारण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। राजीनामा में वर्णित तथ्यों को पढकर समझना वादी द्वारा स्वीकार किया प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं उपस्थित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 की तस्दीक उनके अभिभाषक दिनदयाल स्वामी एवं हसन खान द्वारा की गई। उपरोक्त राजीनामा में वर्णित तथ्यों के अनुसरण में किसी प्रकार का राज्यहीत प्रभावित प्रतीत नही होता है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए राजीनामा के अनुसरण में वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में वर्णित कथनों के आधार पर वाद पत्र को खारिज किया जाता है डिक्री इसी कदर से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (मु0) न्यायालय

(पदमा देवी)
सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमति पदमा देवी आर0ए0एस0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 92(ए)राज0 का0 अधि01955

मुकदमा नम्बर :– 88/2014 (68/17)

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह (हनुमान सिंह पुत्र लाडू सिंह) जाति रावत गौत्र मुण्डियात निवासी ग्राम बुबानी तहसील व जिला अजमेर जरिये मुख्त्यारआम मोहन सिंह पुत्र गोपी सिंह जाति रावत निवासी बुबानी तहसील व जिला अजमेर।

––वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र लादू जाति रावत गौत्र सुन्देडा (मृतक) जरिये वारिसान –
   1/1 श्रीमती प्रेम पत्नि हनुमान सिंह (हनुमान पुत्र लादू)
   1/2 सावंरा पुत्र हनुमान
   1/3 सावंता पुत्र हनुमान
   1/4 सायर पुत्र हनुमान
   समस्त जाति रावत गौत्र सुन्देडा निवासी बुबानी तहसील व जिला अजमेर।
2. मोहन सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह जाति रावत निवासी बुबानी तहसील व जिला अजमेर।
3. श्रीमती अनिता गर्ग पत्नि श्री राजेश गर्ग जाति अग्रवाल निवासी उतारघसेठी हाल निवासी वार्ड नं. 14 कायस्थ मोहल्ला पुरानी मण्डी अजमेर।
4. श्रीमती पूजा भटनागर (माथुर) पत्नि श्री वैभव माथुर जाति कायस्थ निवासी 301 रघुराम रेजीडेन्स, शिल्पा पार्क, कोण्डापुर, हैदराबाद–5000032।
5. श्रीमती ममता जालौरी पत्नि श्री अशोक कुमार जालौरी जाति जैन निवासी 63, महावीर कॉलोनी पुष्कर रोड अजमेर।
6. विद्वान उप पंजीयक महोदय अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर।

––प्रतिवादीगण

दिनांक :– 24.10.2024

वादी अभिभाषक श्री दिनदयाल स्वामी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के अभिभाषक श्री हसन खान असालतन स्वंय उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 24.10.2024 को पीठासीन अधिकारी **श्रीमती पदमा देवी आर0ए0एस0** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :– वादी स्वयं महेन्द्र सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा के अनुसरण में प्रकरण को निस्तारण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। राजीनामा में वर्णित तथ्यों को पढकर समझना वादी द्वारा स्वीकार किया प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं उपस्थित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 की तस्दीक उनके अभिभाषक दिनदयाल स्वामी एवं हसन खान द्वारा की गई। उपरोक्त राजीनामा में वर्णित तथ्यों के अनुसरण में किसी प्रकार का राज्यहीत प्रभावित प्रतीत नही होता है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए राजीनामा के अनुसरण में वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में वर्णित कथनो के आधार पर वाद पत्र को खारिज किया जाता है डिक्री इसी कदर से जारी हो।

(पदमा देवी)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

वादं के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1–वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2–शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3–प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4–........रूपयेपरप्लीडर की फीस 5–साक्षियों के लिए निर्वाह– व्यय 6–कमिश्नर की फीस 7–आदेशिका की तामिल		शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह– व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

(पदमा देवी)
सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner